उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो
(जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट)

संचिका संख्या :–XVI-02/2016

पत्रांक :– ..../जिग्राविअभि

प्रेषक :– निदेशक
ले.प्र. एवं स्व– नि.
जि.ग्रा.वि.अभि., बोकारो

सेवा में

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी
बोकारो जिला

बोकारो, दिनांक :– ....

विषय :– दिनांक 21.04.2018 को उपायुक्त, बोकारो की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, बोकारो के न्यास परिषद के बैठक की कार्यवाही को बोकारो जिला के वेब साईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय का ज्ञापांक 488 दिनांक 26.04.2018 द्वारा दिनांक 21.04.2018 को उपायुक्त, बोकारो की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, बोकारो के न्यास परिषद के बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक की कार्यवाही को बोकारो जिले के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :– यथोक्त।

निदेशक
ले.प्र.एवं स्व–नि.
जि.ग्रा.वि.अभि., बोकारो

ज्ञापांक :– 767/जिग्राविअभि., बोकारो, दिनांक :– 05/7/18

प्रतिलिपि :–
1. उप विकास आयुक्त –सह– सचिव, डी.एम.एफ.टी., बोकारो को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, डी.एम.एफ.टी., बोकारो को सादर सूचनार्थ समर्पित।

निदेशक
ले.प्र.एवं स्व–नि.
जि.ग्रा.वि.अभि., बोकारो

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो
(जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट)

दिनांक 21.04.2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे उपायुक्त, बोकारो की अध्यक्षता
में
बोकारो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, बोकारो
के
न्यास परिषद के बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थिति :– पंजी के अनुरूप।

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त, बोकारो द्वारा बैठक में उपस्थित न्यास परिषद के सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. उप विकास आयुक्त, बोकारो द्वारा बोकारो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुरूप खनन् प्रभावित क्षेत्रों में उसके विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन कर एवं उसमें इस राशि का उपयोग कर उस क्षेत्र का विकास किया जाना है। इस संबंध में सर्वप्रथम खनन् प्रभावित क्षेत्रों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है :–

- 100 प्रतिशत खनन् से प्रभावित क्षेत्र।
- 100 – 70 प्रतिशत खनन् प्रभावित क्षेत्र।
- 70 – 50 प्रतिशत खनन् प्रभावित क्षेत्र।
- 50 – 30 प्रतिशत खनन् प्रभावित क्षेत्र।

यह भी बताया गया कि खनन् कार्य से 100 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के लाभार्थ एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि लाने एवं सम्पूर्ण विकास के लिए तीन बिन्दुओं पर प्रथमतः कार्य किया जाना है, जो निम्नवत् है–

- पाईप लाईन से खनन् प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना।
- प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- ग्रामीणों के स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना।

अतएव उपरोक्त प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाना है।

3. बैठक में उपस्थित सदस्यों को बोकारो जिला खनिज फाउण्डेश ट्रस्ट के गठन के उद्वेश्य एवं उससे प्राप्त होने वाली राशि का राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के तहत् खर्च करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बोकारो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट से प्राप्त राशि को सर्वप्रथम 100 प्रतिशत खनन् प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने एवं प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजनाओं पर खर्च करने हेतु विचार रखा गया।

4. बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल स्वच्छता प्रमण्डल, तेनुघाट एवं चास के द्वारा बोकारो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट से प्राप्त राशि का उपयोग पूर्व से पारित योजनाओं की प्रगति एवं उसमें व्यय होने वाले राशि से संबंधित जानकारी दी गई।

5. मान्नीय विधायक श्री जगरनाथ महतो द्वारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए तुरियो, तारनी आदि क्षेत्र जो खनन् से प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें विशेष ध्यान देकर उस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, प्राथमिक शिक्षा तथा विकास पर कार्य करने का अनुरोध किया गया है। माननीय विधायक द्वारा डीएमएफटी के तहत् चिन्हित ग्रामों का पुनः समीक्षा करने को कहा गया।